न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3445–दो/2014 – विरूद्ध आदेश दिनांक 22–09–2014 – पारित व्दारा – तहसीलदार, मल्हारगढ़, जिला मंदसौर – प्रकरण कमांक 07 अ–13/2013–14

1– वकील मोहम्मद पुत्र अकील मोहम्मद
2– शकील मोहम्मद पुत्र अकील मोहम्मद
निवासी पुरानी तहसील रोड मस्जिद के पास
मल्हारगढ़ , जिला मंदसौर , मध्यप्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– सुरेश चन्द्र पुत्र रामचन्द्र
2– भेरूलाल पुत्र रूपा जी
निवासी मल्हारगढ़ , जिला मंदसौर -----अनावेदकगण

(श्री के0के0द्विवेदी अभिभाषक – आवेदक)
(श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक – अनावेदकगण)

आ दे श
(दिनांक 25 जनवरी 2016)

यह निगरानी तहसीलदार मल्हारगढ़, जिला मंदसौर द्वारा प्रकरण कमांक 07 अ–13/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार मल्हारगढ़ को आवेदन देकर बताया कि ग्राम मल्हारगढ़ की भूमि सर्वे नंबर 478 रकबा 1.442 हैक्टर आवेदकगण की है एंव इसी भूमि में कुछ अन्य व्यक्तियों के भी प्लाट्स हैं। सर्वे नंबर 480/1 रकबा 0.954 हैक्टर अनावेदक क–2 की तथा सर्वे नंबर 479 रकबा 0.025 है. शासकीय होकर पक्का कुआ आवेदक क–2 का दर्ज है । वर्ष 1910–11 के नक्शे में सर्वे नंबर 478 दक्षिण भाग एंव 479 शासकीय अंकित रहा है जिसमें से खेतों को रास्ता जाता है। सर्वे नंबर 480/1 अनावेदक 2 का खेत हैं तथा 480/2 आवेदक का

खेत है । इस भूमि पर से कुए पर जाने एंव कृषि कार्य हेतु आने जाने का रास्ता है जिससे बेलगाड़ी,ट्रेक्टर ट्राली, कृषि उपज लाये-जाये जाते हैं और यह रास्ता खेत पर आने जाने के लिये एकमात्र रास्ता है परन्तु आवेदकगण ने रास्ते पर 15X15 फिट में खाद की रोड़ी डालकर रास्ता बंद कर दिया है रास्ता खुलवाया जावे। तहसीलदार मल्हारगढ़ ने प्र0क0 7 अ-13/134 पंजीबद्ध किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 22 सितम्बर 2014 पारित करके आवेदकगण को रास्ते से 07 दिवस में अवरोध हटाने एंव रास्ता खोलने के आदेश दिये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि आवेदकगण एंव अनावेदकगण की भूमियों का तहसीलदार मल्हारगढ़ ने दिनांक 16-6-14 को स्थल निरीक्षण किया है एंव स्थल निरीक्षण के दौरान नजरी नक्शा में अंकित बिन्दु 'ए' से 'बी' तक गाड़ी गड़ार के रूप में चालू होना पाया है एंव सर्वे नंबर 479 में शासकीय कुआ है जो आवेदक कमांक-1 के कब्जे में है। इसी कुए के निकट शासकीय भूमि के बीच 5-6 फुट भूमि खुली है जो कुये की पनघट दीवार से लगी हुई है शेष शासकीय भूमि पर आवेदक क-1 ने खाद रोडी बना रखी है जिसके कारण बेलगाड़ी, ट्रेक्टर ट्राली आदि के लाने ले जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं होना स्थल निरीक्षण में पाया गया। प्रकरण में आये तथ्यों से ज्ञात हुआ है कि तहसीलदार के समक्ष सुनवाई के दौरान आवेदकगण ने अनावेदक क-1 के खेत पर जाने के लिये अन्य बैकल्पिक मार्ग भी बताया है जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार ने स्थल जांच में पाया कि इस मार्ग

पर बड़े बड़े मेंहदी के पौधे एंव नीम का पेढ़ खड़ा है गाड़ी गड़ार के चिन्ह भी नहीं पाये गये। प्रकरण में जांच कार्यवाही एंव सुनवाई प्रचलित रही, तब तहसीलदार ने वास्तविक स्थिति जानने हेतु पुनः दिनांक 10-7-14 को स्थल निरीक्षण किया तथा जांच में पाया कि नजरी नक्शे में चिन्हित 'डी' से 'एफ' की दक्षिण दिशा में मौके पर रास्ता बना हुआ है जो सर्वे नंबर 474 की सीमा पर जाकर समाप्त हो जाता है। नजरी नक्शे में 'जी' से 'एच' तक चिन्हित रास्ता भी सर्वे नंबर 474 पर ही समाप्त होना पाया गया, जिसमें मौके पर मिट्टी की पार है एंव बबूल के पेड़ एंव अन्य झाड़ियां हैं जिन पर से बेलगाड़ी, ट्रेक्टर ट्राली नहीं ले जाये जा सकते। दिनांक 10-7-14 के स्थल निरीक्षण में स्थिति स्पष्ट हुई कि सर्वे नंबर 480/2 की भूमि पर जाने के लिये उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई बैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। अनावेदक क्र-1 अपने खेत पर आ-जा सके , तहसीलदार ने अन्य किसी प्रकार का विकल्प न पाये जाने से अंतरिम आदेश दिनांक 22-9-14 से अनावेदक क्रमांक-1 के लिये रास्ता देने हेतु मार्ग पर डाली गई खाद की रोडी 07 दिवस में हटाने के आदेश दिये हैं जिसमें उनके व्दारा किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की गई है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अस्वीकार की जाकर तहसीलदार मल्हारगढ़ व्दारा प्र0क्र0 07 अ-13/2013-14 में पारित आदेश दि0 22.09.2014 यथावत् रखते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण का निराकरण छै माह की समयावधि में किया जावे।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर